कार्यालय, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा 2 (छ.ग.)

//विज्ञाप्ति//

क्रमांक/165/स्था./आई.सी.डी.एस./2023–24 मनोरा 2, दिनांक 04.08.2023

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50, रायपुर दिनांक 02.04.2008 के परिपालन में परियोजना अंतर्गत 03 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, 07 आंगनबाड़ी सहायिका एवं 01 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के रिक्त पदपूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता ,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में **"कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत"** बाल विकास सेवा परियेाजना मनोरा 2 के पते पर दिनांक– **04.08.2023** से **18.08.2023** संध्या 5:00 बजे तक आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र स्वयं/प्रतिनिधि भेजकर/डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

- **रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–**

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	03
2	आंगनबाड़ी सहायिका	07
3	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	01

- **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–**

1	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण
2	आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण
3	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

- **केन्द्र का नाम जहाँ नियुक्ति किया जाना है :–**

क्र.	ग्राम पंचायत/नगर पालिका	ग्राम का नाम/वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र जहाँ कार्यकर्त्ता/सहायिका/मिनी कार्यकार्ता नियुक्त किया जाना है।	रिक्त पद का नाम
		आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हेतु रिक्त केन्द्र		
1	अंधरझर	अंधरझर	लफुवाकोना	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
2	खम्हली	आमगॉव	आमगॉव	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
3	अजधा	कुर्राग	कुर्राग	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता

F:\1 ICDS\Sthapna\niuakti\2022-23\Asta\2 A Vigyapan Design By Sunil.docx

आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रिक्त केन्द्र				
1	हर्राडिपा	बेलडीह	बेलडीह	आंगनबाड़ी सहायिका
2	आस्ता	आस्ता	चिकपाठ	आंगनबाड़ी सहायिका
3	सरडीह	खौरा	खौरा	आंगनबाड़ी सहायिका
4	करादरी	तिगरा	तिगरा	आंगनबाड़ी सहायिका
5	करादरी	लिटिम	उपरलिटिम	आंगनबाड़ी सहायिका
6	गीधा	गीधा	बंधकोना	आंगनबाड़ी सहायिका
7	सरडीह	सराईडीह	सराईडीह	आंगनबाड़ी सहायिका
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हेतु रिक्त केन्द्र				
1	हर्राडिपा	हर्राडिपा	चेलीटोली	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता

- **आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार आर्हताएँ है :–**

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।
2. आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए।)
3. निवासी होने के प्रमाण :–
   1. ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे
   2. ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा उप सरपंच अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, तभी मान्य किया जावेगा।
4. कक्षा आठवीं, दसवीं, बारहवीं, का अंकसूची में ग्रेडिंग होने पर आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे यह अंक तालिका स्कुल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग वाले अंकसूची पर अंक प्रदाय नहीं किये जायेंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ ही सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। समय अवधि समाप्ति पश्चात् किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र अलग से स्वीकार या विचार नहीं किया जावेगा।
6. गरीबी रेखा परिवार होने पर, सामाजिक आर्थीक एवं जाती **जनगणना 2011** के आंकड़े का उपयोग करने बाबत् सुस्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये हैं, इन्ही निदेशों के प्रकाश में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है के संबंध में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य नगरपालीका अधिकारी व सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपदपंचायत जशपुर के द्वारा ग्रेडिंग पद्यती वाले गरीबी रेखा का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य किया जावेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही स्वीकर किये जावेंगे।
8. परित्यक्ता/तलाकशुदा होने की स्थिति में 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय/संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
9. विधवा आवेदिका द्वारा पति के मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जावे।
10. निवास प्रमाण–पत्र सरपंच व सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र ही मान्य किये जावेंगे। (ग्रामीण क्षेत्र में)

11. शहरी क्षेत्र में निवास प्रमाण–पत्र पटवारी/पार्षद का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र ही मान्य किये जावेंगे जिसमें वार्ड क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख हो।
12. दावा–आपत्ति में केवल दावा–आपत्ति आवेदन पर हीं विचार किया जावेगा। तत्समय किसी प्रकार के प्रमाण–पत्र स्वीकार या विचार नहीं किये जाएंगे।
13. सहायिका/सह–सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर, विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाने का प्रावधान है, अतः प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

टीप :– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्त्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवी बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पाँचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी। मिनी कार्यकर्त्ता पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणित योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
मनोरा 2, जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/165/स्था./आई.सी.डी.एस./2023–24 मनोरा 2, दिनांक 4/8/23

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. जिला जन संपर्क अधिकारी, जशपुर कि ओर प्रेषित कर निवेदन किया जाता है की स्थानीय पेपर में प्रकाशित करने हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनोरा की ओर सादर सूचनार्थ। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)
8. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मनोरा जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
9. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मनोरा जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
10. सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा 2 की ओर सूचनार्थ। (संबंधित ग्राम में मुनादी हेतु)
11. सर्व सरपंच/सचिव विकासखण्ड मनोरा। (चस्पा एवं मुनादी)
12. सर्व संबंधित ग्राम कोटवार। (मुनादी)

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
मनोरा 2, जिला–जशपुर (छ.ग.)